


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश


राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के शेड्यूल-1 के ग्रुप-एफ के पद प्रधानाध्यापक रा मा वि समकक्ष के पद पर वेतन श्रृंखला पी. बी-3 (15600-39400) ग्रेड वेतन-5400 (नवीन वेतनमान में लेवल-14) में चयनित कार्मिकों के पदस्थापन सम्बन्धी विभाग के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1/45001/ पीएससी-12/2017 दिनांक 27.12.2017 के द्वारा पदस्थापित 32 कार्मिकों में से क्रम संख्या-23 श्री राजेन्द्र सिंह वरिष्ठ अध्यापक-संस्कृत वर्तमान पदस्थापन स्थान रामावि 22 एजी-रावतसर जिला हनुमानगढ़ (वरिष्ठता क्रमांक 32 ओबीसी जन्म दिनांक 12.04.1971) को रामावि कुजटी-लूणकरणसर जिला बीकानेर प्रधानाध्यापक के रूप पर पदस्थापित किया गया था जहाँ पर इन्हें दिनांक 05.01.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना था। श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में वर्णित पत्नी की बीमारी सम्बन्धी विशेष परिस्थितियों के मध्यनजर इन्हें प्रधानाध्यापक मावि के रूप में पदस्थापन स्थान रामावि, कुजटी-लूणकरणसर जिला बीकानेर में कार्यग्रहण किये जाने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाकर दिनांक 17.01.2018 तक कार्यग्रहण अभिवृद्धि स्वीकृत की जाती है। सम्बन्धित कार्मिक दिनांक 17.01.2018 तक नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने से पूर्व मूल आदेश में प्रदत्त निर्देशों की पालना सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा में कार्यग्रहण कर, अपने दस्तावेज प्रमाणीकरण करवाया जाना भी सुनिश्चित करावें।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 15.01.2018

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/पीएससी-2012/2017
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
3. शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
5. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर
6. सिलिस्ट एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा
7. समस्त शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारंभिक)
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक)
9. अनुभाग अधिकारी, गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/संस्थापन सी अनुभाग
10. सम्बन्धित शाला-संस्था प्रधान/सम्बन्धित कर्मचारी
11. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)